कार्यालय नगर पालिका परिषद, गाजीपुर।

संख्या 341 /23–प्रा0आ0यो0आम सूचना/न0पा0प0गा (2016–17) दिनांक 20-8-16

सेवा में,

सम्मानित सम्वाददाता,
जनसंदेश/दैनिक जागरण समाचार पत्र,
गाजीपुर।

महोदय,

कृपया संलग्न प्रधानमंत्री जी आवास योजना आम (सबके लिए आवास, HFA) सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र के अगले संस्करण में शासकीय दर पर प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र चार प्रतियों के साथ बिल की दो प्रतियां भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(जितेन्द्र कुमार आनंद)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर।

(विनोद अग्रवाल)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गाजीपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को जनपद गाजीपुर की वेबसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. सूचना विभाग, गाजीपुर के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. जलकल विभाग, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर।

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, गाजीपुर।

संख्या 341 /23–प्रा0आ0यो0आ0सूचना /न0पा0प0गा0/ (2016–17) दिनांक 20-8-16

प्रधानमंत्री आवास योजना आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्रीजी आवास योजनान्तर्गत–सबके लिए आवास हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत लाभार्थी को नीति में वर्णित विभिन्न घटकों के अन्तर्गत आवास हेतु लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। नगर पालिका परिषद, गाजीपुर में रह रहे नगर क्षेत्र के सभी आवासहीन परिवारों (झुग्गी बस्ती या गैर झुग्गी बस्ती में निवास करने वाले) से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते है। इस हेतु नगरीय हितग्राही अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप में भरकर कार्यालय नगर पालिका परिषद, गाजीपुर में दिनांक 18.09.2016 तक प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र विचारणीय योग्य नही होगें।

हितग्राहियों के लिए पात्रता

- भारत में कहीं पर भी पक्का आवास नहीं होना चाहिए।
- आर्थिक रुप से कमजोर (EWS) वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा रु0 3 लाख तक एवं निम्न आयु (LIG) वर्ग के हितग्राहियों के लिए वार्षिक आय सीमा रु0 3 लाख से 6 लाख तक है।
- बैंक खाता पास बुक की छायाप्रति, जो वर्तमान में चालू हो।
- आधार कार्ड कमांक/वोटर कार्ड की छायाप्रति एवं मोबाइल नम्बर जो चालू हो।
- जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित संवर्ग में हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) की छायाप्रति।
- विकलांग प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) की छायाप्रति।
- स्वतत्रता संग्राम सेनानी/भूतपूर्व सैनिक यदि हों तो उनके प्रमाण की छायाप्रति।
- भू–स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज की छायाप्रति।

नोट–1. अधिक जानकारी के लिए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर एवं परियोजना अधिकारी, डूडा गाजीपुर से सम्पर्क कर सकते है।

2. फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध है,जिसे WWW.Sudaup.org से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन हेतु कोई शुल्क नही है।

जितेन्द्र कुमार आनंद अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, गाजीपुर।	विनोद अग्रवाल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, गाजीपुर।	संजय कुमार जिलाधिकारी गाजीपुर।